कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.comPhone/Fax-2767611

पत्रांकः– 1687 / FP/UK/DISP/114282/2020 दिनॉकः देहरादून 13 जनवरी, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय , 25–सुभाश रोड़, देहरादून।

विषयः–जनपद–नैनीताल के राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी के नियंत्रणधीन स्वामी राम कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान संस्थान हल्द्वानी का विस्तारीकरण करते हुए "राज्य कैंसर संस्थान" की स्थापना किये जाने हेतु 3.111 है0 (पूर्व में 4.25 है0) वन भूमि के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0 8बी/यू.सी.पी./09/21/2021/एफ.सी./1192 दिनांक 15.12.2021।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित **EDS** दिनांक 15–12–2021 के सम्बन्ध में वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) के पत्रांक 1046/12–1 दिनांक 20.12.2022 के द्वारा प्रेषित बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :–

1. वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार प्रस्ताव संख्या–FP/UK/DISP/48845/2020 (4.0 है0), FP/UK/DISP/48848/2020 (1.75 है0) के नियमितीकरण हेतु भारत सरकार से विधिवत स्वीकृति प्राप्त (परन्तु राज्य सरकार के स्तर से विधिवत स्वीकृति की कार्यवाही गतिमान है) हो गयी है, जबकि प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ROAD/48706/2020 (1.702 है0) के नियमितीकरण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालन आख्या मुें वॉछित क्षतिपूरक वृक्षारोपण, पैनल एन0पी0वी0 तथा एन0पी0वी0 तथा एन0पी0वी0 की धनराशि जमा की जा चुकी है, जिसके परिपेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृति निकट भविष्य में प्रदान की जानी है।
2. वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार प्रस्ताव संख्या–FP/UK/DISP/48848/2020 (1.75 है0) वन भूमि पर स्वामी राम कैंसर चिकित्सालय पूर्व से ही निर्मित व संचालित है, इसको राज्य कैंसर संस्थान के रूप में विस्तारीकृत करते हुए राज्य कैंसर संस्थान की स्थापना करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित परियोजना स्वीकृत की गयी है। इसलिए प्रस्ताव संख्या–FP/UK/DISP/48848/2020 (1.75 है0) वन भूमि से लगी हुई प्रस्तावित 3.111 है0 (पूर्व में 4.25 है0) वन भूमि पर राज्य कैंसर संस्थान के द्वितीय चरण के निर्माण करने के उद्देश्य से वन भूमि हस्तान्तरण का ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UK/DISP/114282/2020 (3.111 है0 पूर्व में 4.25 है0), "Upgradation of existing Swami Ram Cancer Hospital" के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
3. वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार रेडियोथेरेपी बंकर भूमिगत संरचना नहीं है। कैंसर के उपचार हेतु अतिविशिष्ट स्पेसिफिकेशन के आधार पर बंकर का निर्माण भूतल पर ही किया जाना प्रस्तावित है।
4. वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार प्रस्ताव संख्या– FP/UK/DISP/114282/2020 (3.111 है0 पूर्व में 4.25 है0) में पूर्व में दर्शाये गये "Future Construction" एवं सम्बन्धित भूमि के भाग को हटाते हुए संशोधित लेआउट अपने कार्यालय के पूर्व पत्रांक 2749/जीएमसी/एल–1/भूमि, दिनांकित 28.09.2021 के माध्यम से संलग्नक–01 में प्रेषित की गयी, जिसकी छाया प्रति पुनः संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
5. वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार प्रस्ताव संख्या– FP/UK/DISP/114282/2020 (3.111 है0 पूर्व में 4.25 है0) की वन भूमि पर कुल 347

वृक्ष विद्यमान है, अपितु प्रस्तावित भवनों तथा आन्तरिक सड़क निर्माण के समय यह विशेष ध्यान रखा जायेगा की वृक्षों का ही पातन किया जाय।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव विभाग के अनुरोध के दृष्टिगतप्रकरण पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

संख्या 1687 / FP/UK/DISP/114282/2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवकश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) के पत्रांक 1046 / 12–1 दिनांक 20.12.2022 के कम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर।

13/01/23

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

9/C